175

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1615-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 30-3-2013 - पारित द्वारा - अपर कलेक्टर जिला सीधी - प्रकरण क्रमांक 212/2011-12 निगरानी

बाबूलाल सिंह पुत्र जोखनसिंह गौड़
ग्राम पवया पूर्व टोला
तहसील गोपद बनास
जिला सीधी , मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- ओमकारनाथ पुत्र मेवालाल जायसवाल
2- नरेन्द्रनाथ उर्फ निचकू पुत्र मेवालाल जायसवाल
3- महिला निहटी पत्नि हिन्छा कोल (मृतक)
4- सुश्री सीता पुत्री हिन्छा कोल
5- सुश्री मुन्नी पुत्री हिन्छा कोला
सभी ग्राम कोटहा तहसील गोपद बनास जिला सीधी ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री रमेशप्रताप सिंह)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री प्रवेश मिश्रा)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 212/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कोटहा की भूमि सर्वे क्रमांक 61 भूमिस्वामी हिन्छा कौल के नाम थी जिसने इस भूमि के रकबा 40X40=1600 वर्गफुट को बाबूलाल सिंह पुत्र जोखन सिंह गौड को विक्रय किया तथा

विक्रय पत्र दिनांक 2-11-89 के आधार पर अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तन भूमि सीधी ने प्रकरण क्रमांक 128 अ-6/93-94 में पारित आदेश से नामान्तरण कर दिया। अधीक्षक भू अभिलेख परिवर्तन भूमि सीधी द्वारा दिये गये नामान्तरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के यहॉ अपील प्रस्तुत हुई, जो समयवाह्य मानकर निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण क्रमांक 81/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-11-06 से अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण क्रमांक 108/99-2000 में पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 20-1-11 पारित किया तथा प्रकरण तहसीलदार को जांच करने एंव पक्षकारों को श्रवण कर गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला सीधी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सीधी ने प्रकरण क्रमांक 212/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-13 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के आदेश दिनांक 20-1-11 एंव अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 30-3-13 में निकाले गये निष्कर्षो के तुलनात्मक अध्ययन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर सीधी ने आदेश दिनांक 30-3-13 के पद 4 में निम्नानुसार निष्कर्ष अंकित किया है -

" विक्री पत्र स्टाम्प कलेक्टर सीधी द्वारा मुद्रॉकित किया गया है। इसी भूमि से संबंधित गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 व 2 ने व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया था जिसकी रिग्युलर अपील क्रमांक 132 ए/92 द्वित्तीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा दिनांक 9-5-2000 को अपील स्वीकार करते हुये

उभय पक्ष के बीच राजीनामा पर विचार करने तथा नगरीय क्षेत्र की भूमि होने के बिन्दु पर जांच हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया था जिसमें मान. न्यायालय चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 सीधी के यहां वाद कमांक 1296-ए/2003 संस्थति किया गया था जिसमें दिनांक 26-4-2004 को आदेश पारित करते हुये आवेदक के पक्ष में भूमिस्वामी स्वत्व घोषित किया गया है। "

उपरोक्तानुसार आशय यह है कि माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है एंव राजस्व न्यायलय को मात्र व्यवहार न्यायालय के आदेश के पालन में अमल कार्यवाही पर विचार करना होता है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास द्वारा प्रकरण कमांक 108/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-1-11 से तहसील न्यायालय को प्रकरण प्रत्यावर्तित करके कार्यवाही हेतु भेजने में त्रृटि नहीं की गई है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर जिला सीधी ने प्रकरण कमांक 212/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-13 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसके कारण अपर कलेक्टर जिला सीधी के आदेश दिनांक 30-3-13 में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर कलेक्टर जिला सीधी द्वारा प्रकरण कमांक 212/2011-12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30-3-13 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर